

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश

1160

क्रमांक: स्था-1/पट/2018

स्वाबियर, दिनांक 9.7.2018

ति,

कलेक्टर,

जिला सारन,

मध्यप्रदेश

विषय: विशेष आदिम जनजाति (सहारिया, वैगा एवं भारिया) पटवारी भर्ती 2018 के संबंध में।
 मध्यप्रदेश स्व विभाग कापरिपत्र क्र. एफ 13-2/1986/सात/4 वी भोपाल दिनांक 9.5.2018।

विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन राजस्व विभाग द्वारा सहारिया, वैगा एवं भारिया विशेष आदिम जनजाति हेतु 143 पदों की भर्ती की स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 13-2/1986/सात/4 वी दिनांक 9/05/2018 द्वारा दी गयी। इन विशेष जनजाति के उम्मीदवारों की पटवारी पद पर नियुक्ति हेतु सम्पूर्ण प्राप्ति प्राप्त तरीके से सम्पादित करने के लिए सशुचित निर्देश प्रसारित करने हेतु शासन द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त को आदेशित किया गया है। इन 143 पदों का जिलेवार बंटन निम्नानुसार है:

जिले का नाम	पद संख्या
रायसे	15
सुरग	1
गिड़	1
स्वाबियर	9
शिवपुरी	25
भुना	28
उरसालनगर	8
क्षतिवा	1 (एक)
छिंदवाडा	5
मंडला	9
बाह्यपट	5
डिंडोरी	7
सहडोल	11
सहारिया	9
जनपूर	5

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख और बंदोबस्त, तृतीय श्रेणी, सेवा विधि (कार्यपालिका एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2012 के नियम 6(3) व 6(4) में निहित प्रावधानों अंतर्गत शासन द्वारा सहारिया, वैगा एवं

स्था.
 10/07/18

परिचा विशेष आदिम जनजाति भर्ती 2018 हेतु भर्ती भर्ती को शिथिल किया गया है। भर्ती हेतु निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी:

1. इस भर्ती हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति व और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 यथा संशोधित 23 अगस्त 2011 के नियम 4 ख के अनुसार विशेष आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हों।
2. अभ्यर्थी को म0प्र0का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3. इस विशेष भर्ती हेतु शासन द्वारा चयन कागज से छूट प्रदान की गयी है।
4. शैक्षणिक योग्यता:- वर्तमान नियम अनुसार उभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, परन्तु मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी (10+2 पद्धति से) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन हेतु हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक (प्रतिशत) के आधार पर चयन हेतु विचार में उस परिस्थिति में लिया जाएगा जबकि स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों। यदि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन पटवारी पद पर होता है तो चयनोप्रांत पांच वर्ष के भीतर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर प्रोफिशियेंसी सर्टिफिकेट टेस्ट (CPCT) उत्तीर्ण होना चाहिए परन्तु यदि अभ्यर्थी CPCT उत्तीर्ण नहीं हों तो नियुक्ति के 5 वर्ष के भीतर अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
6. शासन परिपत्र दिनांक 09/05/2018 की कोटि 17 अनुसार अभ्यर्थियों का चयन वरीयता अनुसार स्नातक में प्राप्तांक (प्रतिशत) के आधार पर तथा पटवारी में प्राप्तांक (प्रतिशत) के आधार पर किया जाएगा।

चूँकि पटवारी का पद जिला संवर्ग का पद है, अतः पटवारी की नियुक्ति की कार्यवाही जिला स्तर पर की जाएगी। चयन की प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार विज्ञापन जारी किये जाते हैं:

1. चयन प्रक्रिया में एकरूपता बनाये रखने हेतु पटवारी चयन हेतु आवेदन की अवधि निर्धारित कर विज्ञापित आयुक्त भू अभिज्ञापन एवं बंदोबस्त द्वारा प्रकाशित की जाएगी।
2. विज्ञापित का समुचित प्रचार-प्रसार कलेक्टर सुनिश्चित करें। इस विशेष भर्ती हेतु कलेक्टर अधीनस्थ जनजातीय कार्य के अग्रणी व 3 दिम जनजाति निवास क्षेत्रों में प्रचार हेतु निर्देशित करें तथा यथासंभव सहयोग आवेदन भरने में प्रदान करें।
3. आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल www.nic.gov.in पर उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र मात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से

- जमा किये गए किसी भी आवेदन का मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र दिनांक 16 जुलाई 2018 से 28 जुलाई 2018 तक प्राप्त किये जायेंगे।
4. मॉडल रूल-बुक की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। प्रत्येक जिले द्वारा जिले में उपरोक्त रिक्त पदों की भर्ती हेतु रूल बुक प्रकाशित की जाएगी जिस जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यह रूल बुक पोर्टल www.niponline.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी।
 5. आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् शासनाभिर्देश अनुसार जिला वार मेरिट लिस्ट तैयार वार जिलों को प्रेषित की जाएगी।
 6. जिन जिलों में इस भर्ती के अंतर्गत पद भरे जाने हैं वह कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश भू-अभिलेख और कंरोवर्स, राजपवित, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2012 यथा संशोधित 7 नवम्बर 2017 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 के प्रावधानों का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की करवाई समिति के तालमेल से की जाए।
 7. सत्यापन उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों को प्रेषित पत्र भेजा जाए तथा नियुक्ति पत्र दिया जाए।
 8. यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थी जिला अपग्रेड करने का विकल्प देता है तो उस आवेदन को दायर किया जाए तथा अभ्यर्थी को प्रशिक्षण पर भेजने का पत्र जारी किया जाए।
 9. दस्तावेज सत्यापन हेतु शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक 307/413/2018/सात-4B दिनांक 24/04/18 तथा आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा जारी समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार करवाई पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

संसन्: संदर्भित शासन आदेश।

मॉडल रूल बुक।

1160

पृ.क्रमांक/स्था-1/पट./2018

प्रतिदिधि:

MANICKAM
SELVEM

अभिर्देश
भू-अभिलेख एवं कंरोवर्स
भू-अभिलेख एवं कंरोवर्स
मध्य प्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 9-7-2018

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त, ग्वालियर, चम्बल, जबलपुर, इंदौर संभाग की ओर सूचनार्थ।